न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला-दौसा

ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज ....बनाम.. मु. नं.	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	04.08.22 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण व उनके वकील को बार-2 आवाज लगवाई उसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय FI. बहस सुनी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाये। शामिल पत्रावली रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)

पीठासीन अधिकारीः– धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 3/22 (ए.)   उनवान

भगवान सहाय पुत्र सम्पत जाति योगी निवासी टहलडी तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान

––सायला

बनाम

1. चीट्या
2. मुन्ना
3. शंकर
4. हजारी

} पुत्रान ऊंकार जातियान योगी निवासी टहलडी तहसील मंडावर जिला दौसा

5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मण्डावर जिला दौसा

––गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित 1. श्री ओमप्रकाश बैनीवाल एडवोकेट– सायला

निर्णय   दिनांक – 04.08.2022

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.31 हैक्टे., खसरा नम्बर 333 रकबा 0.31 हैक्टे., खसरा नम्बर 334 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.54 हैक्टे. खसरा नम्बर 347 रकबा 0.55 हैक्टे., खसरा नम्बर 349 रकबा 0.03 हैक्टे. गैर. मु. कुआ, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.42 हैक्टे. खसरा नंबर 353 रकबा 0.02 हैक्टेयरगै. मु. कुआ कुल किता 10 कुल रकबा 3.73 है0 है जो वाके ग्राम टहलडी तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है जिसमें वादी 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है एवं शेष रकबा प्रतिवादी नं. 1 लगयायत 6 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2072–2075 में दर्ज रिकॉर्ड है।

सायलान व गैरसायलान के मध्य विविधत तकासमा नही होने के कारण वादग्रस्त आराजी पर सायलान एवं गैरसायलान शामिल में काश्त करते चले आ रहे है और काश्त की सुविधा के अनुसार सभी खोतेदारान में आपसी सहमति से मौके पर बंटवारा कर रखा है। गैर सायलान लाठी वाले पैसे वाले व्यक्ति हों जो संख्या में अधिका है आऐ दिन सायल के हिस्से की आराजी की डोल मेढ तोडकर हिस्से से अधिक भूमि को जोत बो देते है। सायल दिनांक 08.01.2022 को अपने कब्जे काश्त की आराजी में खडी

CANCELLED

फसल सरसों की देखभाल करने गया था इतने में ही सभी गैरसायलान संख्या 01 लगायत 04 हाथों में फावड़ा लेकर मौके पर आ धमके और सायल को ऐलानिया कहा कि तेरी इस आराजी पर आने की हिम्मत कैसे हो गई सम्पूर्ण आराजी पर हम लाठी के बल पर कब्जा कर तुम्हें बेदखल करके रहेंगे। सायल ने निवेदन किया कि मेरा 1/2 भाग दर्ज रिकॉर्ड है और करीब 20–25 वर्षों से आपसी सलबट के आधार पर सभी खातेदारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है और मैंने मेरे हिस्से की जमीन को काफी मेहनत व परिश्रम से कृषि योग्य उपजाऊ बनाया है आप मुझे मेरे हिस्से से कैसे बेदखल कर सकते हैं। इतने में गैरसायलान फावड़ा आदि से नींव खोदने लग गये और धमीक दी कि हम लाठी के बल पर जबरदस्ती हमारी इच्छा के अनुसार किसी भी खेत में नींव आदि खेदकर पुख्ता निर्माण करेंगें और किसी लाठी वाले पैसे वाले व्यक्ति को बेचान कर देगें और आपने किसी भी बात का विरोध किया तो हम तुझे जान से खत्म कर तुम्हारी जमीन से बेदखल कर गांव से भगा देंगें।सायल ने गैरसायलान को काफी समझाया की मात्र मैं इस आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार हूं आप आपी तहसील में चलकर अलग–अलग खाता कायम करा लेते है जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार का झगडा नही होगा इस पर गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया । हम किसी भी स्थिति में न तो अलग–अलग खाता कायम होने देगें ना ही तुम्हें काश्त करने देगें और जबरदस्ती तुम्हें बेदखल कर कब्जा करके रहेंगे। यदि गैर सायलान अपने उक्त गैर मंसूबों में सफल हो गये तो सायल को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी प्रकार से संभव नही है और सायल आने हक हकूकों से हमेशा हमेशा को महरूम हो जावेगा इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 18.01.2021 को उभय पक्ष के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि उभय पक्षआराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.54 है0. खसरा नम्बर 209 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.31 हैक्टे., खसरा नम्बर 333 रकवा 0.31 हैक्टे., खसरा नम्बर 334 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.54 हैक्टे. खसरा नम्बर 347 रकबा 0.55 हैक्टे., खसरा नम्बर 349 रकबा 0.03 हैक्टे. गैर मु. कुआ, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.42 हैक्टे. खसरा नंबर 353 रकबा 0.02 हैक्टेयरगै. मु कुआ कुल किता 10 कुल रकबा 3.73 है0 है जो वाके ग्राम टहलडी तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है, के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगें। साथ ही अप्रार्थीगण उक्त आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत बेजा ना तो स्वयं करेगें ना ही किसी अन्य से करावें। किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे। गैर सायलान संख्या 1 लगा. 4 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2022 को प्रस्तुत किया कि सायल स्वयं की एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायात 4 को अपने पिता उंकार के जीवित रहते ही उक्त सम्पूर्ण भूमि का विभाजन आज से करीब 40 वर्ष पूर्व ही कर दिया था तथा उसी अनुसार की कब्जा दे दिया गया था एवं उसी अनुसार ही अपने–अपने हिस्से पर आज तक काबिज चले आ रहे है। एवं प्राथी को किसी भी प्रकार

की क्षति होने का अंदेशा नही है। उक्त प्रार्थना पंत्र गलत व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

वकील सायल की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि दिनांक 18.01.2022 को जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पत्र के निर्णय तक confirm किया जावे।

गैरसायलान की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी ग्राम टहलडी संवत् 2072–75 विवादित भूमि खसरा नम्बर 208, 209, 329, 333, 334, 346, 347, 349, 352 व 353 प्रार्थी एवं प्रतिवादगण 1 लगायात 06 रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उक्त भूमि का खातेदारों के मध्य विधिवत तकास्मा नही हुआ है। चूंकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त काश्त की भूमि है ऐसी सूरत में जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच आराजी पर कब्जा माना जाता है किन्तु यदि कोई सहखातेदार ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो अन्य काश्तकारों के हितों के विपरीत /प्रतिकूल हो । इस प्रकार प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में सावित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वावत् अस्थाई निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 209 रकवा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.31 हैक्टे., खसरा नम्बर 333 रकवा 0.31 हैक्टे., खसरा नम्बर 334 रकवा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 346 रकवा 0.54 हैक्टे. खसरा नम्बर 347 रकवा 0.55 हैक्टे., खसरा नम्बर 349 रकबा 0.03 हैक्टे. गैर.मु. कुआ, खसरा नम्बर 352 रकवा 0.42 हैक्टे. खसरा नंबर 353 रकबा 0.02 हैक्टेयरगै. मु. कुआ कुल किता 10 कुल रकवा 3.73 है0 है जो वाके ग्राम टहलडी तहसील मण्डावर जिला दौसा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पत्र के निर्णय तक पावंद किया जाता है कि ग्राम टहलडी तहसील मण्डावर के आराजी खसरा नम्बर 208, 209, 329, 333, 334, 346, 347, 349, 352 व 353 में सायल के हिस्से 1/2 के कब्जे काश्त में किसी अप्रार्थीगण उक्त आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत बेजा ना तो स्वयं करेगें ना ही किसी अन्य से करावें। किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करें। सायलान को शांति पूर्वक काश्त करने देवे, सायलानन को अपने कब्जे काश्त से बेदखल नही करे व ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे हक हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे । विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनायें रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिह,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)